जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीतापुर

वर्ष : 01 | अंक–04 | समाचार पत्र | अगस्त 2024 | पृष्ठ : 4

हर घर तिरंगा अभियान

माननीय जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के तत्वावधान में जिला कारागार सीतापुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिला अध्यक्ष/ सचिव DLSA श्री नरेंद्रनाथ त्रिपाठी द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्री आलोक मिश्रा स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट सीतापुर के द्वारा बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया तथा श्रीमती शुभांशी तिवारी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के द्वारा बंदियों को प्राप्त निशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में श्री त्रिपाठी के द्वारा ध्वज संहिता 2002 के

निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई तथा तिरंगे के सम्मान हेतु नियम बंदियों को समझाएं गए ।कार्यक्रम में जेल अधीक्षक श्री सुरेश कुमार सिंह व जिला कारागार सीतापुर के अन्य स्टाफ ने भी प्रतिभाग किया।

साप्ताहिक जिलाकारागार निरीक्षण

अपर जिला जज सचिव श्री नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा जिला कारागार सीतापुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के समय सर्वप्रथम रसोई घर का मुआयना किया गया जहां स्वच्छता के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पोषित आहार पाया गया।

तत्पश्चात महिला व किशोर बैरक का मुआयना कर बंदियों से बात की गई तथा उनकी समस्याओं के बारे पूछा गया।जिन बंदियों के पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नही थे ,उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया की यदि किसी व्यक्ति को निशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है तो वह जेल अधिकारी के जरिए प्राधिकरण में निशुल्क अधिवक्ता हेतु पत्र भेज सकता है। अन्य किसी बंदी ने कोई भी समस्या से अवगत नही कराया।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के निर्देशानुसार डीपी वर्मा मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर में "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ "के विषय पर एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ माननीय अपर जिला जज /सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा किया गया।उनके द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को विधिक ज्ञान एवं अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री सुजीत वाजपेई डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम सीतापुर के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता तथा महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया तत्पश्चात श्रीमती शुभांशी तिवारी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को

उदघोषित करते हुए अच्छी संगति का महत्व एवं कोलकाता केस पर महिलाओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री आलोक मिश्रा द्वारा बच्चों को जीवन के अमूल्य सबक सिखाए गए।कार्यक्रम में प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहे।

जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी द्वारा आर.एम.पी. डिग्री कालेज सीतापुर में तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थो से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के क्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में सर्वप्रथम सुश्री प्रिया पटेल, जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपने अपने भाषण में वहां पर उपस्थित समस्त छात्र/छात्राओं को अपनी संघर्ष यात्रा एवं विभिन्न जन उपयोगी सेवाओं जैसे मुख्यमंत्री बाल विकास कोष , विधवा पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अवगत कराया गया, व श्री सुजीत बाजपेई, डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम द्वारा निशुल्क विधिक सहायता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का परिचय दिया गया ।श्रीमती शुभांशी तिवारी, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउंसिल द्वारा वहॉ पर उपस्थित समस्त छात्र/छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों एवं उनसे बचने के उपायों के बारें में बताया गया, इसके साथ मा. अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा "न्याय चला निर्धन की ओर" को व्याख्या रूप देते हुए समस्त छात्र/छात्राओं को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के बारें में भी जागरूक किया गया ।सचिव महोदय द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि प्रत्येक तहसील स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पराविधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति जरूरतमंद व्यक्तियों को सुलभ न्याय प्रदान किये जाने हेतु किया गया है।

मासिक विवरण: लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम,सीतापुर

असिस्टेंट LADC श्री अंकुर वर्मा द्वारा बताया गया कि माह अगस्त में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं द्वारा कुल 21 मामले में साक्ष्य पर जिरह की गई। कुल 4 चार्ज बनवाए गए। साथ ही 3 मामलों में रिमांड बहस भी की गई। 2 अंतिम बहस की गई एवम 2 मामलों में 313 बनवाया गया।

LADC के अधिवक्ताओं के द्वारा 5 पत्र वालियो को जुर्म इकबाल के जरिए समाप्त करवाया गया तथा 15 जमानत पत्रावलिया न्यायालय के समक्ष पेश की गई।

इस प्रकार कुल 286 मामलों में कार्य करते हुए LADC के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की

स्थाई लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत स्थाई लोक अदालत जिला न्यायालय सीतापुर परिसर में स्थापित है।इस संस्था के अध्यक्ष पद पर श्री जी0 प्रसाद मार्च 2024 से कार्यरत है। श्री प्रसाद इससे पूर्व परिवार न्यायाधीश उरई जिला जालौन के पद पर सुशोभित थे। सदस्य के दो पदो मे से एक पद पर श्री के के सिंह नियुक्त है तथा एक पद रिक्त है।

लोक अदालत का दूसरा प्रकार स्थायी लोक अदालत है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22–बी के अंतर्गत गठित की गई है। स्थायी लोक अदालतों की स्थापना एक अध्यक्ष और दो सदस्यों वाली स्थायी संस्थाओं के रूप में की गई है, जोवायु,जल ,सड़क परिवहन, डाक, तार ,टेलीग्राफ आदि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों,किसी अवस्थापन द्वारा जनता को विद्युत , प्रकाश ,जल प्रदाय से संबंधित विवाद,सार्वजनिक मल वहन, स्वच्छता संबंधी, स्वच्छता प्रणाली संबंधी विवाद, अस्पताल, औषधालय से संबंधित विवाद, बीमा संबंधी विवाद, अन्य शमनीय विवादों का निपटारे के लिए अनिवार्य

पूर्व–मुकदमेबाजी तंत्र प्रदान करती हैं। यहां, भले ही पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक अदालत को विवाद का फैसला करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते विवाद किसी अपराध से संबंधित न हो। इसके अलावा, स्थायी लोक अदालत का अवार्ड अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार एक करोड़ रुपये तक है। यहां यदि पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत के पास मामले का फैसला करने का क्षेत्राधिकार होता है। स्थाई लोक अदालत मामले की परिस्थितियों, मौखिक बयानों को सुनने के अनुरोध, विवाद का शीघ्र निपटारा आदि पक्षों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को उस तरीके से संचालित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।

स्थायी लोक अदालतों की शक्तियां इस प्रकार हैं:

- स्थायी लोक अदालत में, कोई भी पक्ष किसी विवाद को न्यायालय में ले जाने से पहले, वहां आवेदन कर सकता है.
- स्थायी लोक अदालत का आर्थिक क्षेत्राधिकार अधिकतम 10 लाख रुपये तक होता था,अब 2015 के संशोधन के उपरांत यह राशि 1 करोड़ है।
- स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का निपटारा नि:शुल्क और तेज़ी से किया जाता है. इन सेवाओं में शामिल हैं : यातायात, डाक, तार, टेलीफ़ोन, अस्पताल, शिक्षा, बैंकिंग, और वित्तीय सेवाएं.
- स्थायी लोक अदालत में गुण–दोष के आधार पर या समझौते के आधार पर निर्णय दिया जा सकता है.
- स्थायी लोक अदालत का फ़ैसला अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है.
- स्थायी लोक अदालत का फ़ैसला सिविल कोर्ट के फ़ैसले की तरह माना जाता है.
- स्थायी लोक अदालत मामले की परिस्थितियों, पक्षकारों की इच्छाओं, और विवाद को जल्दी से निपटाने जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर काम करती है.
- स्थायी लोक अदालत में, भारतीय न्याय संहिता,2023 की धाराओं 229, 257, और 267 के तहत की जाने वाली सभी कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाही मानी जाती हैं.
- स्थायी लोक अदालत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा 215 और अध्याय 28 के तहत सिविल कोर्ट की तरह काम करती है.

तैयारी लोक अदालत की

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.9.2024 के संदर्भ में न्यायिक अधिकारियों की बैठक आहूत की गई जिसमे न्यायिक अधिकारियों से आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की गई।

इसी क्रम में समस्त बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक आहूत की गई जिसकी अध्यक्षता अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा की गई । बैठक में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत /अपर जिला जज श्री भागीरथ वर्मा द्वारा उपस्थित समस्त बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह सभी अपनी अपनी बैंक से संबंधित समस्त सम्मान नोटिस समय से कार्यालय को उपलब्ध करा दें जिससे कि समयानुसार हस्ताक्षर किए जा सके तथा तामिला हेतु भेजा जा सके ।

इसी क्रम में पुलिस विभाग व जिला विकास अधिकारी तथा राजस्व विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय

लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत /अपर जिला जज श्री भागीरथ वर्मा ने किया। श्री वर्मा द्वारा उपस्थित नोडल अधिकारियों को अपना सहयोग प्रदान किए जाने हेतु वार्तालाप किया गया जिससे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।

प्रशस्ति पत्र वितरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में अमूल्य योगदान करने हेतु विभिन्न विभागों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपर जिला जज/सचिव श्री नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री हर्ष मवार,जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री राज कुमार एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल श्री आशुतोष अवस्थी को उनकी लगन व निष्ठा हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन लोगो द्वारा लोक अदालत के प्रचार प्रसार व समुचित व्यवस्था में अपना अमूल्य समय व मेहनत निहित की गई। इस अवसर पर दिनॉक 20/07/2024 को जिला कारागार सीतापुर मे आयोजित विशेष स्वास्थ शिविर मे प्रतिभाग करने वाले डॉ0 सन्दीप शर्मा नेत्र रोग विशेसज्ञ एवं डॉ0 बाल कृष्ण मित्रा दत्त रोग विशेसज्ञ को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

न्याय सबके लिए

विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव अपने कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति सजग व सतर्क रहता है। प्राधिकरण निरंतर सभी व्यक्तियों को न्याय की राह पर अग्रसारित करते हुए द्वार द्वार पर न्याय को सहज उपलब्धता करा रहा है। इसी अनुक्रम में आज हम एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो की निम्नवत है –

अशोक कुमार राना की नियुक्ति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29–8–1997 को वाहन चालक के पद पर कार्य पालक अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई थी। अशोक जी अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय भी अपने वाहन चालक के कार्यों से अत्यंत संतुष्ट थे तथा उन्हें हर स्थान पर सदैव अपने साथ लेकर जाते थे। एक बार माननीय कार्य पालक अध्यक्ष महोदय को दिल्ली सेमिनार हेतु जाना था तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र एवं वफादार व्यक्ति अशोक जी को साथ चलने को कहा। परंतु दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही शाहजहांपुर के पास दिनांक 7 मार्च 2002 को उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें सभी सवार व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई। चोटों के दुष्प्रभाव से वाहन चालक अशोक जी के दोनों पैरों की हड्डी टूट गई तथा पूरे शरीर में चोटें आई। उनका इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में 8 महीने तक हुआ।

जब वह पूर्णता स्वस्थ हुए तब तक उनके पैरों में 40 प्रतिशत विकलांगता आ गई थी।

अतः विभागीय प्रक्रिया अपनाते हुए अशोक जी के जीवन यापन हेतु उन्हें स्थाई नियुक्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया गया। आदेश के अनुपालन में दिनांक 19–9–2006 को अशोक जी की नियुक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,सीतापुर में लिपिक के पद पर हुई। अशोकजी क्वै। के दस्तावेज संबंधी सभी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते आ रहे हैं। अशोक जी आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीतापुर का अभिन्न अंग बन चुके हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार–प्रसार करते पी0एल0वी0

पर्यावरण संरक्षण

विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के आदेश पर कार्यवाही करते हुए नगर पालिका परिषद सीतापुर में वृक्षों को ट्रीगार्ड की कैद से मुक्त करना शुरू कर दिया है। काटे गए ट्रीगार्डों से अब जीवन के लिए संघर्ष कर रहे नए पौधों को संरक्षण मिल रहा है।

विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश श्री नरेंद्र नाथ त्रिपाठी और पर्यावरण संरक्षक एडवोकेट आशुतोष शुक्ला के संयुक्त प्रयास से कटे हुए निष्प्रयोज्य हो चुके ट्रीगार्डों से दम तोड़ते वृक्षों को सुरक्षा मिल रही है। इससे एक ओर वृक्षों को सामाजिक न्याय मिला है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण–संवर्धन की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है।

पर्यावरण संरक्षक एडवोकेट आशुतोष शुक्ला ने 3 नवंबर 2023 को निरपराध वृक्षों को ट्रीगार्ड की कैद से मुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित नालसा को पत्र लिखकर मामला दर्ज कराया था। आशुतोष शुक्ला ने वृक्षों को वैज्ञानिक रूप से जीवंत प्रमाणित बताते हुए वृक्षों को सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के आधार पर मुक्त करने की मांग की थी।

विषय को गंभीरता से लेते हुए नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथोरिटी ऑफ इंडिया (नालसा) ने इस पर कार्यवाही करते हुए जिला सीतापुर के विधिक सेवा प्राधिकरण को इस पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस विषय पर कार्यवाही करते हुए तत्कालीन अपर एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अभिषेक उपाध्याय जी नें जिलाधिकारी सीतापुर को निर्देशित किया कि ऐसे वृक्षों को चिन्हित करते हुए जो समुचित रूप से पनप चुके हैं तथा ट्री गार्ड उनके विस्तार में बाधक बन रहे हैं। उनसे ट्री गार्ड हटा दिए जाएं। और ट्री–गार्ड लगाने वाले संबंधित विभाग को निर्देशित कियाकि समयबद्ध तरीके से भविष्य में भी नवरोपित वृक्षों को भी ट्री–गार्ड मुक्त रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

विधिक सेवा प्राधिकरण के इस सकारात्मक कदम से न सिर्फ ट्री गार्डों पर खर्च होने वाली धनराशि बच रही है बल्कि पर्यावरण संवर्धन को भी बल मिल रहा है।

पराविधिक स्वयं सेवकों को सीख

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष DLSA के निर्देशानुसार परा विधिक स्वयंसेवको की बैठक आहूत की गई। बैठक में अपर जिला जज /सचिव DLSA श्री नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा PLV गणों को कार्यक्षेत्र में ईमानदारी तथा निष्ठा दर्शाते हुए कार्य करते रहने को कहा गया । सचिव महोदय द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए। जागरूकता शिविर लगाने का भी निर्देश दिया गया जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।

जिला कारागार सीतापुर का मासिक निरीक्षण

सीतापुर दिनांक–31.08.2024 को लन्चोपरान्त मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ''श्री मनोज कुमार तृतीय'' द्वारा जिला कारागार सीतापुर का मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ''नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी'' तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री गौरव प्रकाश व सुश्री अक्षी गिल, न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, श्री तनमय जायसवाल, अपर सिविल जज (जू.डि.), सुश्री प्रिया मिश्रा, अपर सिविल जज (जू.डि.), सुश्री अंजू यादव, अपर सिविल जज (जू.डि.), श्री मनुज कृष्ण मिश्रा, अपर सिविल जज (जू.डि.), सुश्री आकांक्षा पिपिल, अपर सिविल जज (जू.डि.) उपस्थित रहे। जिला कारागार सीतापुर में जेल अधीक्षक ''श्री सुरेश कुमार सिंह'' तथा जेलर, ''श्री अरविन्द श्रीवास्तव'' सहित अन्य जेल अधिकारी भी उपस्थित रहें। मा0 जनपद न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तृतीय, द्वारा जिला कारागार सीतापुर मे महिला बैरक, किशोर बैरक सहित समस्त बैरक का निरीक्षण कर, बन्दियों से वार्ता की

गयी। वार्तालाप के दौरान बन्दियों की छोटी–छोटी समस्याओं पर ध्यान देते हुए, उन्हे सुना तथा समस्याओं का तुरन्त निराकरण करने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान किसी भी बन्दी द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा दिये जाने की प्रार्थना नही की गयी। जेल अपील के सम्बन्ध में भी पूछं–ताछ की गयी, बताया गया कि सभी दोषसिद्ध बन्दियों द्वारा जेल अपील तथा निजी अपील दाखिल कर दी गयी है। मा0 जनपद न्यायाधीश द्वारा जिला कारागार में स्थित अस्पताल तथा पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया। सभी व्यवस्था दुरूस्त पाई गयी। जेल लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया, जेल लीगल एड क्लीनिक पर मौजूद दोनो पी.एल.वी. से उनके कार्यो के बारे में व निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में पूछा गया तथा रजिस्टर जॉचे गये।

वन स्टाफ सेन्टर का किया गया निरीक्षण

सीतापुर मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर श्री मनोज कुमार तृतीय, के निर्देशानुसार आज दिनांक 30.08.2024 को समय–12:30 बजे ''श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी'' अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर द्वारा वन स्टाफ सेन्टर का निरीक्षण किया गया।

उपरोक्त वन स्टाप सेन्टर के निरीक्षण के समय 03 बालिकायें उपस्थित मिली। ड्यूटी रोस्टर के अनुसार समस्त स्टाफ उपस्थित मिला एवं सेल्टर होम में साफ–सफाई सही पाई गयी एवं सेल्टर में उपस्थित बालिकाओं से वार्ता की गयी तो उन सभी के द्वारा बताया गया कि खाना इत्यादि समय से मिलता है। इसी क्रम अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित कर्मचारियो को साफ–सफाई पर अत्यधिक ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया तथा खाने पीने की वस्तुओं को भी समयानुसार व नियमानुसार देने हेतु निर्देशित किया गया। केन्द्र संचालिका द्वारा अवगत कराया गया कि एक बच्ची को जी.आर.पी. थाने द्वारा 10 दिवस पूर्व बरामद करके सेन्टर पर

उसे दाखिल कराया गया है। तत्पश्चात जी.आर.पी. थाना द्वारा अभी तक कोई सम्पर्क किया गया है और न ही सम्बन्धित विवेचक दिये गये मोबाइल नम्बर पर फोन करने पर फोन उठाते है। सचिव, महोदय द्वारा मामले के विवरण लेकर कार्यालय लिपिक को आदेशित किया गया कि वह सम्बन्धित से तत्काल पत्राचार करें।

सुलह समझौता केन्द्र में कार्यरत समस्त मध्यस्थ अधिवक्तागण के साथ बैठक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर द्वारा संचालित सुलह समझौता केन्द्र में कार्यरत समस्त मध्यस्थ अधिवक्तागण के साथ एक बैठक समय–03:00 बजे से आहूत की गयी। उक्त बैठक में मध्यस्थगणों की समस्याओं में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुना गया और उनको आश्वस्त गया कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वे उसे सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सीधे अवगत कराये। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित समस्त मध्यस्थ अधिवक्तागण को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित–14.09.2024 में अधिक से अधिक प्री–लिटिगेशन वादों को भी निस्तारित किये जाने हेतु वार्ता की गयी।

उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मदद करने के लिए लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का शुभारंभ किया गया है। महिला सम्मान कोष के माध्यम से हिंसा से पीड़ित महिलाओं के इलाज/पुनर्वास के लिए 3 से 10 लाख रुपये तक की मदद दी जाती है।महिला सम्मान कोष की शुरुआत साल 2015 में हुई ।महिला सम्मान कोष का उद्देश्य किसी भी तरह की पीड़ित महिलाओं और युवतियों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना है। इस सहायता के जरिये उनके पुनर्वास कार्यक्रम या आवश्यकतानुसार शिक्षा एवं आजीविका के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

योजना का उद्देश्य यह है कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को भी समाज की मुख्यधारा में शामिल कर राष्ट्र के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित किया जाये।महिला सम्मान कोष की मदद से हिंसा पीड़ित महिलाओं एवं उनके आश्रितों के साथ–साथ आर्थिक रूप से निर्बल महिलाओं की शैक्षिक एवं चिकित्सीय सुविधा हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का भी प्रावधान है।महिला सम्मान कोष के जरिये उन महिलाओं/बालिकाओं को भी सहायता मिल सकती है जो सीधे–सीधे हिंसा की शिकार तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए सरकारी मदद की दरकार है

सहायता राशि

शुरुआत में राज्य सरकार ने महिला सम्मान कोष के लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया. इसके बाद हर साल के बजट में महिला सम्मान कोष की राशि बढ़ाई जाती है।

मुख्य उद्देश्य

1– जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/कन्याओं को तात्कालिक आर्थिक मदद के लिए.

2– हिंसा की शिकार महिलाओं के इलाज के लिए.

3– हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा के लिए.

4– दयनीय आर्थिक हालात की वजह से कन्याओं के इलाज/पढ़ाई में मदद के लिए

एसिड अटैक, बलात्कार या घरेलू हिंसा के मामलों के बाद महिलाओं को न सिर्फ मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, बल्कि इलाज पर भी काफी खर्च करना पड़ता है. इसके बाद उन्हें जीवन यापन में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

प्रक्रिया

महिला सम्मान कोष से मदद पाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसमें जिस महिला को मदद दी जानी है, उस क्षेत्र के नोडल पुलिस ऑफिसर पीड़ित की जानकारी वेबसाईट पर अपलोड करते हैं।इसके बाद क्षेत्र के नोडल मेडिकल ऑफिसर पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर उसे जिला समिति के पास फॉरवर्ड कर देते हैं।इसके बाद समिति उस मामले पर विचार और चर्चा कर उसे संबंधित बैंक से वेरिफिकेशन कर ट्रेजरी ऑफिस भेज देती है। इसके बाद आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होते ही सहायता राशि पीड़ित महिला के बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है इस योजना का प्रभावी क्रियान्यवयन सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तर पर एवं परिवेक्षण के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता मे जिला संचालन समिति का गठान किया गया है जिसमे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अधीक्षक,संयुक्त निदेशक अभियोजन,जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला प्रोवेशन अधिकारी इत्यादि सदस्य होते है। दिनॉक 7 अगस्त 2024 को उक्त समिति के बैठक कलेक्ट्रेट सभागार मे हुई। जिसमे लम्बित मामलो पर विचार विमर्श किया गया।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)

यह अभियान भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, लिंग अनुपात में सुधार लाना, और बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना हैतथाबालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चितकरना है

विधिक दृष्टिकोण

1. संवैधानिक प्रावधान:

– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा और जीवन का अधिकार दिया गया है। यह अभियान इन अधिकारों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है.

2. कानूनी प्रावधान:

– पूर्व–गर्भाधान और पूर्व–जनन निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994: यह अधिनियम लिंग चयन और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देता है।

– बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006: इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। यह अभियान बालिकाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करता है.

3. सामाजिक और शैक्षिक पहल:

– इस अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ताकि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके।

– स्कूलों और कॉलेजों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं और छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

निष्कर्ष

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान न केवल एक सरकारी योजना है, बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। यह अभियान बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

नशे का दुष्प्रभाव

आज के समाज में नशे की समस्या एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह समाज के ताने–बाने को भी कमजोर करती है। नशे के विभिन्न रूप जैसे शराब, तंबाकू, ड्रग्स आदि का सेवन तेजी से बढ़ रहा है और इस के दुष्प्रभाव समाज के हर वर्ग पर दिखाई दे रहे हैं।

स्वास्थ्य पर प्रभाव:

नशे का सीधा असर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर, किडनी और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ड्रग्स का सेवन मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे व्यक्ति अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक रोगों का शिकार हो सकता है।

परिवार पर प्रभाव:

नशे की लत व्यक्ति के परिवार को भी प्रभावित करती है। नशेड़ी व्यक्ति अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को नजर अंदाज करता है, जिससे पारिवारिक संबंधों में तनाव और टूटन आ जाती है। बच्चों पर इस का विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्यों कि वे अपने माता–पिता को नशे की हालत में देखकर मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं।

आर्थिक प्रभाव:

नशे की लत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी कमजोर करती है। नशे पर खर्च होने वाला पैसा व्यक्ति की बचत और निवेश को प्रभावित करता है। इसके अलावा, नशे की वजह से व्यक्ति अपनी नौकरी खो सकता है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है।

समाज पर प्रभाव:

नशे की लत समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देती है। नशे की हालत में व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण खो देता है और अपराध करने की संभावना बढ़ जाती है।इसके अलावा, नशे की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल बनता है।

निष्कर्ष:

नशे की लत एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करने और सख्त कानून लागू करने की आवश्यकता है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा ताकि हमारा समाज स्वस्थ और सुरक्षित रह सके।

चर्चा किशोर हित की

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया बैठक में सचिव श्री नरेंद्र नाथ त्रिपाठी वह जिला प्रोबेशनअधिकारी सुश्रीप्रिया पटेल द्वारा संबोधन में पोक्सो अधिनियम 2012 पर विस्तृत चर्चा की गई। पोक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत उल्लिखित सपोर्ट पर्सन, विशेष प्रबंधक, अनुवादक आदि के मानोनयन पर चर्चा की गई ।बैठक में किशोरी से संबंधित अन्य विषयों की भी चर्चा की गई ।

विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनोज कुमार तृतीय के निर्देशानुसार अपर जिला जज/सचिव DLSA श्री नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा ग्राम पंचायत रामकोट सीतापुर में एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर का मुख्य विषय नवजात शिशुओं में मां के दूध के पोषण से संबंधित जागरूकता का प्रचार एवं प्रचार करना था। कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री सुजीत बाजपेई डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम सीतापुर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निशुल्क विधिक सहायता के बारे में अपने विचार प्रकट किए गए तत्पश्चात सुश्री प्रिया पटेल जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों को विधवा पेंशन ,मुख्यमंत्री बाल योजना तथा पेंशन स्कीम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को पेंशनआवेदन हेतु जागरूक किया गया। श्रीमती शुभांशी तिवारी असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के द्वारा नवजात शिशुओं में मां के दूध के पोषण तत्व संबंधी अपने मूल्यवान विचार प्रकट किए गए ।श्री भागीरथ वर्मा अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट सीतापुर द्वारा वहां उपस्थित व्यक्तियों को महिला सशक्तिकरण संबंधी प्रावधान के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही अपर जिला जज/ सचिव क्वै। द्वारा "न्याय चाला निर्धन की ओर" के नारे को उजागर किया गया तथा निशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।